मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

मध्यप्रदेश विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिभोग नियम, 2001

राज्य शासन द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक 1672/3241/जी/19/70, दिनांक 29-11-1971 द्वारा मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित विश्राम गृहों हेतु उनके एकीकृत अधिभोग हेतु नियमों को अधिष्ठित कर दिनांक 1-7-1971 से प्रभावशील किये थे। समय-समय पर उनमें कई संशोधन किए गए तथा उपयोग हेतु दरें भी पुनरीक्षित की जाती रहीं। चूंकि उपरोक्त नियमों को अधिष्ठित किए काफी वर्ष हो चुके हैं एवं वर्तमान में आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है। अतः पूर्व नियमों को निरस्त करते हुए, उनके स्थान पर मध्यप्रदेश विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिभोग नियम, 2001 अधिष्ठित किया जाता है।

1. विश्राम भवन/विश्राम गृह मूलतः कर्त्तव्य पर यात्रा करते समय परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में उल्लेखित अतिथियों को किराया मुक्त उपभोग के लिए अभिप्रेत है। आरक्षण हेतु परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित व्यक्तियों को परिशिष्ट "ब" में उल्लेखित व्यक्तियों के ऊपर वरीयता दी जाएगी किन्तु जब उनके द्वारा विश्राम भवनों/विश्राम गृहों में स्थान की आवश्यकता न हो तो पहले परिशिष्ट "स" में उल्लेखित व्यक्तियों को एवं उनको आवश्यकता न होने पर परिशिष्ट "द" में उल्लेखित व्यक्तियों को परिशिष्ट में दी गई नियमावली एवं शर्तों के आधार पर अधिवास की पात्रता होगी। प्रत्येक परिशिष्ट में उच्च अग्रताक्रम के व्यक्ति को निम्न अग्रताक्रम के व्यक्ति की तुलना में अधिवास का प्रथम अधिकार होगा।

2. मध्यप्रदेश के संविदाकारी राज्यों के भूतपूर्व शासक अपने परिवार के सदस्यों सहित अपने भूतपूर्व राज्यों के मुख्यालयों में स्थित विश्राम भवनों/विश्राम गृहों को छोड़कर राज्य के अन्य स्थानों में स्थित विश्राम भवन/विश्राम गृहों का किराया मुक्त अधिभोग एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 बार तक कर सकेंगे। बशर्ते कि वह स्थान पूर्व से ही आरक्षित करा लिया गया हो एवं उसकी आवश्यकता नियम-1 में उल्लेखित अन्य व्यक्तियों को न हो।

3. अपने मुख्यालय से बाहर कर्तव्य पर यात्रा करते समय मध्य प्रदेश शासन के स्वायत्त निकायों/मण्डलों/निगमों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ एवं इन निकायों के अधिकारी एवं केन्द्रीय शासन के वर्ग "1" एवं "2" के अधिकारी राज्य शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित भाड़े का भुगतान कर विश्राम भवन/विश्राम गृह के अधिभोग के हकदार होंगे।

4. परिशिष्ट अ, ब, स एवं द में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा यदि विश्राम भवन/विश्राम गृहों में स्थान आरक्षित न किया गया हो तो कोई भी यात्री राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित भाड़े का भुगतान कर विश्राम भवन/विश्राम गृह का अधिभोग कर सकेंगे।

5. परिशिष्ट अ, ब, स और द के लिए आगन्तुकों को संलग्न परिशिष्टों में श्रेणीबद्ध किया गया है। आगन्तुकों को अपनी श्रेणी के अन्दर विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिभोग का समान अधिकार होगा किन्तु उन्हें स्थान आरक्षण के लिए आवेदन-पत्र की प्राप्ति के अनुसार प्राथमिकता दी जावेगी। न्यून श्रेणी के व्यक्तियों की तुलना में उच्च श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण का पहला अधिकार होगा एवं इसके पश्चात् श्रेणी विहीन व्यक्तियों के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे। श्रेणी-विहीन व्यक्तियों के आवेदन उपयोग हेतु इच्छित दिनांक के तीन दिन पूर्व ही आरक्षण हेतु स्वीकार होंगे।

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

मध्यप्रदेश विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिभोग नियम, 2001

राज्य शासन द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक 1672/3241/जी/19/70, दिनांक 29-11-1971 द्वारा मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित विश्राम गृहों हेतु उनके एकीकृत अधिभोग हेतु नियमों को अधिष्ठित कर दिनांक 1-7-1971 से प्रभावशील किये थे। समय-समय पर उनमें कई संशोधन किए गए तथा उपयोग हेतु दरें भी पुनरीक्षित की जाती रहीं। चूंकि उपरोक्त नियमों को अधिष्ठित किए काफी वर्ष हो चुके हैं एवं वर्तमान में आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है, अतः पूर्व नियमों को निरस्त करते हुए, उनके स्थान पर मध्यप्रदेश विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिभोग नियम, 2001 अधिष्ठित किया जाता है।

1. विश्राम भवन/विश्राम गृह मूलतः कर्त्तव्य पर यात्रा करते समय परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में उल्लेखित अतिथियों को किराया मुक्त उपभोग के लिए अभिप्रेत है। आरक्षण हेतु परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित व्यक्तियों को परिशिष्ट "ब" में उल्लेखित व्यक्तियों के ऊपर वरीयता दी जाएगी किन्तु जब उनके द्वारा विश्राम भवनों/विश्राम गृहों में स्थान की आवश्यकता न हो तो पहले परिशिष्ट "स" में उल्लेखित व्यक्तियों को एवं उनको आवश्यकता न होने पर परिशिष्ट "द" में उल्लेखित व्यक्तियों को परिशिष्ट में दी गई नियमावली एवं शर्तों के आधार पर अधिवास की पात्रता होगी। प्रत्येक परिशिष्ट में उच्च अग्रताक्रम के व्यक्ति को निम्न अग्रताक्रम के व्यक्ति की तुलना में अधिवास का प्रथम अधिकार होगा।

2. मध्यप्रदेश के संविदाकारी राज्यों के भूतपूर्व शासक अपने परिवार के सदस्यों सहित अपने भूतपूर्व राज्यों के मुख्यालयों में स्थित विश्राम भवनों/विश्राम गृहों को छोड़कर राज्य के अन्य स्थानों में स्थित विश्राम भवन/विश्राम गृहों का किराया मुक्त अधिभोग एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 बार तक कर सकेंगे। बशर्ते कि वह स्थान पूर्व से ही आरक्षित करा लिया गया हो एवं उसकी आवश्यकता नियम-1 में उल्लेखित अन्य व्यक्तियों को न हो।

3. अपने मुख्यालय से बाहर कर्त्तव्य पर यात्रा करते समय मध्य प्रदेश शासन के स्वायत्त निकायों/मण्डलों/निगमों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ एवं इन निकायों के अधिकारी एवं केन्द्रीय शासन के वर्ग "1" एवं "2" के अधिकारी राज्य शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित भाड़े का भुगतान कर विश्राम भवन/विश्राम गृह के अधिभोग के हकदार होंगे।

4. परिशिष्ट अ, ब, स एवं द में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा यदि विश्राम भवन/विश्राम गृहों में स्थान आरक्षित न किया गया हो तो कोई भी यात्री राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित भाड़े का भुगतान कर विश्राम भवन/विश्राम गृह का अधिभोग कर सकेंगे।

5. परिशिष्ट अ, ब, स और द के लिए आगन्तुकों को संलग्न परिशिष्टों में श्रेणीबद्ध किया गया है। आगन्तुकों को अपनी श्रेणी के अन्दर विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिभोग का समान अधिकार होगा किन्तु उन्हें स्थान आरक्षण के लिए आवेदन-पत्र की प्राप्ति के अनुसार प्राथमिकता दी जावेगी। न्यून श्रेणी के व्यक्तियों की तुलना में उच्च श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण का पहला अधिकार होगा एवं इसके पश्चात् श्रेणी विहीन व्यक्तियों के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे। श्रेणी-विहीन व्यक्तियों के आवेदन उपयोग हेतु इच्छित दिनांक के तीन दिन पूर्व ही आरक्षण हेतु स्वीकार होंगे।

10. (I) निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर जिन व्यक्तियों के लिए स्थान आरक्षित हो गया है, उन्हें जिन्हें स्थान आरक्षित नहीं हुआ है, की अपेक्षा विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिभोग की प्राथमिकता होगी :—

(क) मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन।

(ख) संभागीय आयुक्त।

(ग) राज्य शासन के विभागाध्यक्ष।

(घ) महालेखाकार, मध्यप्रदेश।

(ङ) जिलाध्यक्ष।

(च) जिला पुलिस अधीक्षक।

(छ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

(ज) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

(झ) अपर कलेक्टर/अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, के परिक्षेत्र में आने वाले विश्राम गृह एवं विश्राम भवनों में।

(II) उपरोक्त व्यक्तियों को विश्राम भवनों/विश्राम गृहों के अधिभोग की प्राथमिकता होगी। चाहे उनके लिए स्थान आरक्षित हो या न हो। त्वरित आरक्षण हेतु अनुविभागीय अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, प्रभारी विश्राम भवन/विश्राम गृह एवं इस हेतु राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा रिक्त कक्ष उपलब्ध होने की स्थिति में परिशिष्ट अ, ब, स एवं द में उल्लेखित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण कर सकेंगे।

11. आरक्षित स्थान का अधिभोग स्थान आरक्षित कराने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा न किया जायेगा। एक यात्री को केवल एक कक्ष आवंटित किया जाएगा।

12. महामहिम राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/उप प्रधानमंत्री/सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/महामहिम राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य अधिकारी, कर्मचारी यात्री को केवल कोष्ठावली जिसमें शयन कोष्ठ एवं स्नान कक्ष सम्मिलित है, अधिवासित करने का अधिकार होगा। भोजन कक्ष का उपयोग सभी यात्री कर सकेंगे। महा. राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/उप प्रधानमंत्री/सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल/मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सम्पूर्ण विश्राम भवन/विश्राम गृह आरक्षित कराने के हकदार होंगे।

13. आगन्तुक को विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिवासित करते ही आगन्तुक पुस्तक में अपना नाम, पद, पूरा पता और आने का समय दर्ज करना होगा और यदि ऐसा न किया गया तो उसके अधिभोग का अधिकार समाप्त किया जा सकेगा। बिजली/पानी का शुल्क केयर टेकर को भुगतान कर रिक्त करने का दिनांक एवं समय और किराया एवं बिजली/पानी का भुगतान किया गया शुल्क अपने हस्ताक्षर सहित दर्ज करना होगा। भाड़ा मुक्त श्रेणी के आगन्तुकों को छोड़कर शेष को विश्राम भवनों/विश्राम गृहों में अधिवासित करने के पूर्व रुपये 500.00 (रु. पाँच सौ) का अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। इस अग्रिम का समायोजन अधिवासित अवधि आदि के किराये आदि में किया जा सकेगा। यदि अधिवासित अवधि जमा कराये गये अग्रिम से ज्यादा होना संभावित हो तो अधिवासी द्वारा अग्रिम की राशि समानुपातिक रूप से और जमा करानी होगी।

10. (I) निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर जिन व्यक्तियों के लिए स्थान आरक्षित हो गया है, उन्हें जिन्हें स्थान आरक्षित नहीं हुआ–है, की अपेक्षा विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिभोग की प्राथमिकता होगी :—

(क) मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन।

(ख) संभागीय आयुक्त।

(ग) राज्य शासन के विभागाध्यक्ष।

(घ) महालेखाकार, मध्यप्रदेश।

(ङ) जिलाध्यक्ष।

(च) जिला पुलिस अधीक्षक।

(छ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

(ज) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

(झ) अपर कलेक्टर/अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, के परिक्षेत्र में आने वाले विश्राम गृह एवं विश्राम भवनों में।

(II) उपरोक्त व्यक्तियों को विश्राम भवनों/विश्राम गृहों के अधिभोग की प्राथमिकता होगी। चाहे उनके लिए स्थान आरक्षित हो या न हो। त्वरित आरक्षण हेतु अनुविभागीय अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, प्रभारी विश्राम भवन/विश्राम गृह एवं इस हेतु राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा रिक्त कक्ष उपलब्ध होने की स्थिति में परिशिष्ट अ, ब, स एवं द में उल्लेखित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण कर सकेंगे।

11. आरक्षित स्थान का अधिभोग स्थान आरक्षित कराने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा न किया जायेगा। एक यात्री को केवल एक कक्ष आवंटित किया जाएगा।

12. महामहिम राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/उप प्रधानमंत्री/सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/महामहिम राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य अधिकारी, कर्मचारी यात्री को केवल कोष्ठावली जिसमें शयन कोष्ठ एवं स्नान कक्ष सम्मिलित है, अधिवासित करने का अधिकार होगा। भोजन कक्ष का उपयोग सभी यात्री कर सकेंगे। महा. राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/उप प्रधानमंत्री/सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल/मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सम्पूर्ण विश्राम भवन/विश्राम गृह आरक्षित कराने के हकदार होंगे।

13. आगन्तुक को विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिवासित करते ही आगन्तुक पुस्तक में अपना नाम, पद, पूरा पता और आने का समय दर्ज करना होगा और यदि ऐसा न किया गया तो उसके अधिभोग का अधिकार समाप्त किया जा सकेगा। बिजली/पानी का शुल्क केयर टेकर को भुगतान कर रिक्त करने का दिनांक एवं समय और किराया एवं बिजली/पानी का भुगतान किया गया शुल्क अपने हस्ताक्षर सहित दर्ज करना होगा। भाड़ा मुक्त श्रेणी के आगन्तुकों को छोड़कर शेष को विश्राम भवनों/विश्राम गृहों में अधिवासित करने के पूर्व रुपये 500.00 (रु. पाँच सौ) का अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। इस अग्रिम का समायोजन अधिवासित अवधि आदि के किराये आदि में किया जा सकेगा। यदि अधिवासित अवधि जमा कराये गये अग्रिम से ज्यादा होना संभावित हो तो अधिवासी द्वारा अग्रिम की राशि समानुपातिक रूप से और जमा करानी होगी।

22. विश्राम भवन/विश्राम गृहों का उपयोग यात्रियों या व्यवसाईयों द्वारा कार्यालय के लिये नहीं किया जा सकेगा। शासकीय अधिकारियों द्वारा जन कार्य संपादन हेतु किया जा सकेगा।

23. यदि विश्राम भवन/विश्राम गृह में टेलीफोन की व्यवस्था हो तो प्रथम श्रेणी के अधिकारी को छोड़कर सभी अधिवासियों को यदि वे उसका उपयोग शासकीय कार्य हेतु करना चाहते हों तो टेलीफोन शुल्क अग्रिम रूप से केयर टेकर को देना होगा। मध्यप्रदेश शासन के प्रथम श्रेणी से न्यून श्रेणी के शासकीय सेवकों को विश्राम गृह रिक्त करने के समय टेलीफोन शुल्क केयर-टेकर को भुगतान करना होगा जो कि संबंधित अधिकारी अपने कार्यालय की आकस्मिक निधि से भरपाई करेगा। समस्त श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को निजी कार्य से किये गये ट्रंककाल का भुगतान करना होगा। प्रत्येक ट्रंककाल का निम्नलिखित विवरण ट्रंक-कालकर्ता द्वारा ट्रंककाल रजिस्टर जो केयर टेकर, के पास उपलब्ध होगा, में दर्ज करना होगा :—

(क) अधिभोगी का नाम तथा पूरा पता।

(ख) वह स्थान एवं टेलीफोन नम्बर जहां ट्रंककाल किया गया हो।

(ग) किये गये ट्रंककाल के लिये केयर-टेकर के पास जमा की गई रकम।

24. महामहिम राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/उप प्रधानमंत्री/मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल/ मुख्यमंत्री एवं मध्यप्रदेश के मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं संसदीय सचिवों द्वारा दौरे के समय विश्राम भवन/विश्राम गृह से किये गये ट्रंककाल के देयक दूरभाष कार्यालय से प्राप्त होते ही कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा भुगतान किये जावेंगे एवं भुगतान की पूर्ति के लिये देयक रसीद एवं भुगतान किये गये देयक की सत्यप्रतिलिपि सहित मुख्य लेखाधिकारी सचिवालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल को भुगतान करने हेतु प्रेषित किये जावेंगे।

25. महामहिम राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/केन्द्रीय एवं मध्यप्रदेश के मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री/संसदीय सचिव/ महामहिम राज्यपाल/मुख्यमंत्री एवं अन्य विशिष्ट अतिथि के ठहरने की अवधि के दौरान अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन कलेक्टर/ राज्य प्रचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश से लगाए जा सकेंगे एवं आवश्यक देयक भुगतान हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित किए जाएं।

26. विश्राम भवन/विश्राम गृह में प्रदाय भोजन इत्यादि की पूर्ति किये जाने पर उसका भुगतान निर्धारित दर पर केयर-टेकर को करना होगा। राज्य अतिथियों के खान-पान की दरें सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा अलग से जारी की गयी हैं एवं व्यय का भुगतान भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। रूम सर्विस पर 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। विशेष भोजन की पूर्ति के लिए अलग से शुल्क देय होगा। आर्डर के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा, भले ही भोजन किया हो अथवा नहीं।

27. राज्य शासन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए विशिष्ट प्रकरणों में विश्राम भवन/विश्राम गृह किराया में छूट दे सकता है।

28. भाड़ायुक्त अधिवासी के निवेदन पर उपलब्धता के आधार पर विश्राम भवन के कक्ष में रुपये 50/- प्रति बिस्तर प्रतिदिन के हिसाब से एवं विश्राम गृह में 25/- रुपये (पच्चीस रुपये मात्र) प्रति बिस्तर प्रतिदिन के हिसाब से उसके परिवार के सदस्यों के लिये अतिरिक्त बिस्तर प्रदाय किया जायेगा।

हस्ता./-
(एस. एस. कुमरे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.

परिशिष्ट "अ"

भारत के ऐसे व्यक्तियों की सूची जो कर्त्तव्य पर प्रवास पर विश्राम भवन/विश्राम गृह में अधिवास करने की पात्रता रखते हैं :—

1. महामहिम राष्ट्रपति
2. उप राष्ट्रपति
3. प्रधान मंत्री
4. उप प्रधान मंत्री
5. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
6. केन्द्रीय मंत्री
7. केन्द्रीय राज्य मंत्री
8. केन्द्रीय उप मंत्री
9. संसदीय सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट "ब"

ऐसे व्यक्तियों की सूची जो कर्तव्य पर प्रवास पर विश्राम भवन/विश्राम गृह में अधिवास करने की पात्रता रखते हैं :—

1. राज्यपाल
2. मुख्य मंत्री
3. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/लोकायुक्त।
   उप मुख्य मंत्री
   विधान सभा अध्यक्ष।
4. मंत्री
   मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता
5. राज्य मंत्री,
   मध्यप्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष।
6. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/उप लोकायुक्त।
7. उप मंत्री,
   महाधिवक्ता।
8. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष,
   राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष।
9. विधायक
10. मुख्य सचिव,
    अपर मुख्य सचिव,
    अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मंडल,
    अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
    राज्य निर्वाचन आयुक्त,
    मुख्य सचिव के समकक्ष स्तर के अधिकारी,